रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 7, 2007/भाद्र 16, 1929
No. 263] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 7, 2007/BHADRA 16, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2007

फा. सं. 10 (11)/2000-**विधायी-III**.—सलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, की अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 10(11)/2000-विधायी-III तारीख 15 फरवरी, 2007 द्वारा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारत के विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एम. जगन्नाथ राव, की अध्यक्षता में भारत में न्यायिक प्रभाव निर्धारण की साध्यता की परीक्षा के लिए एक कृतिक बल का गठन किया गया था;

और कृतिक बल से उसके गठन किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी;

और कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अवधि को दस मास तक बढ़ाने का अनुरोध किया है;

और केन्द्रीय सरकार ने, वर्तमान सदस्य-सचिव के स्थान पर संयुक्त सचिव, न्याय विभाग को सदस्य-सचिव के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए इसके गठन में परिवर्तन के साथ कृतिक बल की अवधि को उपरोक्त अनुरोध के अनुसार बढ़ाने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) पैरा 2 में, मद (V) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(V) श्री रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव, न्याय विभाग-सदस्य-सचिव";

(ख) पैरा 6 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6 सचिवालयिक सहायता, विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।";

(ग) पैरा 8 में "छह मास" शब्दों के स्थान पर "सोलह मास" शब्द रखे जाएंगे।

डॉ. के. एन. चतुर्वेदी, सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में संख्यांक फा. सं. 10(11)/2000-विधायी-III तारीख 15 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2007

F. No. 10(11)/2000-Leg.-III.—Whereas, as a follow-up of the directions of the Hon'ble Supreme Court in Salem Advocates Bar Association *Vs.* Union of India, a Task Force for examining the feasibility of Judicial Impact Assessment in India was constituted under the chairmanship of Shri Justice M. Jagannadha Rao, former Judge of the Supreme Court and formerly Chairman, Law Commission of India, *vide* the Notification of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, number F. No.10 (11)/2000-Leg.-III dated the 15th February, 2007;

And, whereas, the Task Force was required to submit its report to the Government within six months from the date of its constitution;

And, whereas, the Task Force requested for extension of the period for submission of its report by ten months;

And, whereas, the Central Government has decided to extend the tenure of the Task Force as per the above request along with change in its composition by substituting Joint Secretary, Department of Justice as Member-Secretary in place of the present Member-Secretary;

Now, therefore, the Central Government hereby amends the said Notification as follows, namely :—

In the said Notification, —

(a) in paragraph 2, for item (v) and entries thereof, the following shall be substituted, namely : —

"(v) Shri Ramesh Abhishek, Joint Secretary, Department of Justice Member-Secretary";

(b) for paragraph 6 and the entries thereof, the following shall be substituted, namely :—

"6. Secretarial assistance would be provided by the Department of Justice of the Ministry of Law and Justice.";

(c) in paragraph 8, for the words "six months", the words "sixteen months" shall be substituted.

Dr. K. N. CHATURVEDI, Secy.

Note :— The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 number F. No. 10 (11)/2000-Leg.-III dated the 15th February, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.